तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-2-17	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई वास्ते बहस प्रा० पत्र पत्रावली दिनांक 9-3-17 को पेश हो।	
9-3-17	वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते बहस प्रार्थना पत्र पत्रावली 16-3-17 को पेश हो।	
16-3-17	वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते बहस प्रार्थना पत्र. अवसर चाहा गया वास्ते बहस 12-4-17 को पेश हो।	
12.4.17	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 19.04.17 को पेश हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, बून्दी

प्रकरण सं. 124/2015 पीठासीन अधिकारी – गरिमालाठा R.A.S

उनवान – 1. धर्मराज आ. देवा जाति मीणा निवासी बहड़ावली तहसील इन्द्रगढ़
2. हेमराज आ. देवा जाति मीणा निवासी बहड़ावली तहसील इन्द्रगढ़
3. ओमप्रकाश आ. देवा जाति मीणा निवासी बहड़ावली तहसील इन्द्रगढ़
4. छीतया आ. गोरधन जाति मीणा निवासी बहड़ावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान – प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू आत्मज गेन्दया जाति मीणा निवासी बहड़ावली तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि०

निर्णय 27.04.17

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

इस प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. 48 खसरा नं. 731 रकबा 0.15 हैं., खसरा नं. 732$

क्रमशः

कृपया :

रकबा 0.15 हैं. किता 2 योग रकबा 0.30 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम बड़ावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण खातेदार कृषक हैं वास्ते प्रमाण नकल जबाबन्दी 2071-2074 पेश है। उक्त कृषि भूमि के पास अप्रार्थी नं 1 का मकान है। अप्रार्थी का रास्ता स्कूल के पीछे होकर है उक्त रास्ता करीब 20 फीट चौड़ा है जिसका उपयोग अप्रार्थी व अन्य व्यक्ति करते है। अप्रार्थी नं 1 ने प्रार्थीगण के खेत मे होकर बहते बरसाती पानी के रास्ते पर रेवड़ी डाल कर खेत से पानी निकासी का रास्ता बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण की फसल को पानी से नुकसान होता है और अप्रार्थी नं 1 प्रार्थीगण के खेत के मध्य से रास्ता निकालना चाहता है। जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के खेत में किसी तरह का कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी ने दिनांक 1.09.2015 को गांव के व्यक्तियो को लेकर रास्ता निकालने के लिये प्रार्थीगण के खेत की मेर पर लगी कांटो की बाड़ व पत्थर हटाने की कोशिश की जिसको प्रार्थीगण ने मौके पर पहुँचकर रोका वरना अप्रार्थी जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण की कृषिभूमि में रास्ता निकाल लेता। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि मैं तुम्हारी कृषि भूमि रव नं 731, 732 में होकर रास्ता निकालकर रहूंगा यही वाद का कारण है। अप्रार्थी ने इस हेतु ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र दिया था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता नही होने से ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी नं 1 का सहयोग करने से मना कर दिया। अप्रार्थी का रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अप्रार्थी जबरन प्रार्थीगण के खेत में से होकर रास्ता बनाना चाहता है जिसका अप्रार्थी को कोई हक अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी नं 1 को ताफैसला वाद पत्र की वर्णित कृषि भूमि से बरसाती पानी के निकासी को नही रोके और प्रार्थीगण की कृषि भूमि में ताकत के बल पर रास्ता नही बनावे,

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

कृपया

क्रमश:

काश्त अवस्था में दखल नही देवे । ऐसा न तो स्वयं करे न ही अपने किसी ऐजेन्ट या प्रतिनिधी से करवाये ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी सं. 1 व उसके अधिवक्ता नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । नियत पेशी पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है और अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है इससे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थी को कोई नुकसान नही होगा जबकि प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने की दशा मे ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नही है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया । न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है -

प्रथमदृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन - प्रार्थीगण का कथन है कि खाता सं. 48 खसरा नं. 731 व 732 कृषि भूमि वाके ग्राम बहड़वली खातेदार दर्ज है जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश कि गयी जमाबंदी संवत 2071-2075 की फोटोप्रति से साबित होता है । अतः प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है ।

अपूर्णीय क्षति — चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है, अतः प्रार्थना पत्र में उठाए गए बिन्दुओं के आधार पर विवादित आराजी के संबंध मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही कि जाती है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी ।

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है । अप्रार्थी को तार्फैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से

क्रमश:

क्रमशः

पाबन्द किया जाता है कि खाता सं. 49 के खसरा नं. 731 रकबा 0.15 है. खसरा नं. 732 रकबा 0.15 है. में किसी प्रकार का रास्ता न बनावे व काश्त व्यवस्था में दखल न देवे ऐसा न तो स्वयं करे नही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मुलवाद रहे।

आदेश आज दिनांक 27.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)